न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(सुश्री रजनी मीणा ,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :– 06 / 2021
निर्णय दिनांकः– 24.02.2021

उनवान

संतरा देवी पत्नी श्री मथूरालाल जाति मीना निवासी सोलतपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
– वादीयां

बनाम

1.आशाराम पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी सोलतपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
2.सीताराम पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी सोलतपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
3.विक्रम सिंह पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी सोलतपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
4.हनुमान पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी सोलतपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
5..तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, दु0 इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री रामस्वरूप मीना वकील वादियां

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि वादीयां के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी खाता संख्या 113 खसरा नम्बर 355 रकबा 1.02 है0 वाके ग्राम सोलतपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक है। वादग्रस्त आराजी वादीयां ने तत्कालीन खातेदार सीताराम, आशाराम पि0 मूल्या व ग्यारसी पत्नी मुल्या से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 20.06.2020 को सीताराम व ग्यारसी का सम्पूर्ण हिस्सा 2/5 व आशाराम का 1/2 हिस्सा, 1/10 इस प्रकार सभी विकेताओं का कुल 1/2 हिस्सा खरीदकर मौके पर कब्जा प्राप्त किया था, तब से वादीया का वादग्रस्त आराजीयात पर निरंतर बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का नामान्तरकरण अभी तक वादीया के पक्ष मे नही खुला है तथा इसी दौरान सह खातेदार ग्यारसी पत्नी मूल्या की मृत्यु हो गई। प्रतिवादीगण को इस बात की पूरी जानकारी थी कि वादग्रस्त आराजी मे 1/2 हिस्सा वादिया ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर लिया है तथा उस पर वादिया का कब्जा काश्त है, उसके बावजूद ग्यारसी की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का से साजिश करते हुये वादग्रस्त आराजीयात मे ग्यारसी के सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण अपने पक्ष मे

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

खुलवा लिया, जबकि वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नही है। वादिया ने वादग्रस्त आराजी का नमान्तरकरण जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का व तहसीलदार जी उनियारा को भी आवेदन कर दिया था उसके बावजूद पटवारी हल्का ने वादिया के पक्ष मे नामान्तरकरण न खोलकर ग्यारसी की मृत्युपरान्त सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण प्रतिवादीगण के पक्ष मे खोल दिया गया। वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण प्रतिवादीगण के नाम खुलने से प्रतिवादीगण के दिल मे बैईमानी आने लगी है तथा वे वादिया के हक व अधिकारों को चेलेन्ज करते हुये वादीया को उसके हिस्से से बेदखल करने व भूमि रहन, बैचान पर आमादा है, जिसका उन्हे कोई वैधानिक अधिकार नही है।

यह कि वादियां की अधियाचना है कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 113 खसरा नम्बर 355 रकबा 1.02 है0 वाके ग्राम सोलतपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक मे वादिया 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना व इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वह वादिया के खरीदशुदा व कब्जे काश्त व हिस्से की भूमि मे किसी प्रकार मजाहेमत व मदाखलत नही करे, ना ही काश्त मे बाधा डाले, ना तो स्वयं ही और ना ही किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्तियों के द्वारा करावे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी न0 1 ता 4 ने जरिये वकील दिनांक 24.02.2021 को राजीनामा पेश किया गया। उभय पक्षों को राजीनामा पढकर सुनाया गया। उभय पक्षों ने राजीनामा पढ, सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया गया। उभय पक्षों की पहचान उनके अभिभाषक द्वारा करने पर राजीनामा स्वीकार किया गया तथा शामिल पत्रावली किया गया।

उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2065 वाके ग्राम सोलतपुरा मे वादग्रस्त आराजी ख0न0 355 रकबा 1.02 है0 विक्रमसिंह हनुमान आशाराम पुत्र मूल्या हिस्सा 3/5 राहिन दी से.को. बैंक लि. टोंक शाखा अलीगढ सीतारम पुत्र ग्यारसी का हि. 2/5 राहिन टोंक जि.स.भू.वि.बैंक शाखा उनियारा मूर्त. कोम मीना सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड असल बैनामा दिनांक 20.06.2020 के अनुसार वादिया ने वादग्रस्त आराजी ख0न0 355 रकबा 1.02 है0 वाके ग्राम सोलतपुरा तहसील उनियारा मे 1/2 हिस्सा तत्कालीन खातेदार सीताराम आशाराम पि0 मूल्या व ग्यारसी पत्नी मूल्या से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। नकल नामान्तरकरण संख्या 392 दिनांक 11.09. 2020 के अनुसार वादग्रस्त आराजी ख0न0 355 मे मृतक ग्यारसी के स्थान पर वारिसान प्रतिवादीगण 1 ता 4 के नाम खातेदारी मे दर्ज हुयी है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–2073 वाके ग्राम सोलतपुरा मे वादग्रस्त आराजी ख0न0 355 रकबा 1.02 है0 प्रतिवादीगण 1 ता 4 की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पूर्व मे प्रतिवादीगण 1 ता 4 तथा उनकी माता ग्यारसी की संयुक्त खातेदारी मे रही है तथा खातेदार सीताराम पुत्र मूल्या व ग्यारसी पत्नी मूल्या ने अपना हिस्सा 2/5 व आशाराम पुत्र मूल्या ने हिस्सा 1/5 मे से आधा हिस्सा 1/10 कुल 1/2 भाग वादिया को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

पत्र विक्रय किया है। वादग्रस्त आराजी का बैचान हो जाने के बाद ही ग्यारसी का फोती नामान्तरकरण प्रतिवादीगण 1 ता 4 के नाम खोला गया है। जिस कारण वादिया का हिस्सा प्रभावित हुआ है। वादीया व प्रतिवादीगण 1 ता 4 ने लोक अदालत की भावना के मध्य राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 113 खसरा नम्बर 355 रकबा 1.02 है0 वाके ग्राम सोलतपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक मे वादिया को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने मे प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुये वादि के वाद को डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता है। अतः वाद बहक वादियां विरूद्व प्रतिवादी 1 ता 4 डिक्री किया जाता है। आराजी ख0न0 355 रकबा 1.02 है0 वाके ग्राम सोलतपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक मे वादियां को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी न0 1 ता 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वर्णित आराजीयात मे वादियां के कब्जे काश्त व हिस्से मे किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सुश्री रजनी मीणा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

संतरा देवी पत्नी श्री मथूरालाल जाति मीना निवासी सोलतपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
– वादीयां

बनाम

1.आशाराम पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी सोलतपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
2.सीताराम पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी सोलतपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
3.विक्रम सिंह पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी सोलतपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
4.हनुमान पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी सोलतपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
5..तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, दु0 इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 06 वर्ष 2021

वादी की ओर से श्री रामस्वरूप मीना वकील वादी व प्रतिवादी न0 1 ता 4 स्वयं की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 24.02.2021 को सुश्री रजनी मीणा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि आराजी ख0न0 355 रकबा 1.02 है0 वाके ग्राम सोलतपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक मे वादियां को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी न0 1 ता 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वर्णित आराजीयात मे वादियां के कब्जे काश्त व हिस्से मे किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत नही करे। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 02 सन् 2021 को जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

D:\satya\revenue\FESLA\Faisla 1.docx149